न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 6/2026

श्रीराम पुत्र मूला, निवासी ग्राम रामलालपुरा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी, तहसील गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

––

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.12.2025 नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम श्री श्रीराम अ0धा0 91(6) एल0आर0 एक्ट मु0नं0 295/2025

––

उपस्थित :–

1. श्री रोहिताश कुलहरी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 06.03.2026

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 30.12.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। अपीलान्ट के अनुसार विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं ने अपने निर्णय दिनांकित 30.12.2025 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 77.35 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में 2.00 है0 ग्राम रामलालपुरा, तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं पर अतिकमी मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6)(क) के तहत 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध में अपीलान्ट ये अपील प्रस्तुत है कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 30.12.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.09.2025 को जवाब प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है कि वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिकमण भूमि खसरा नं0 113 पर नहीं किया गया है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई काश्त भी नहीं कर रखी है एवं मौके पर भूमि खाली है। उक्त जवाब प्रस्तुत करने के बाद पटवारी हल्का द्वारा राजनैतिक द्वेषता एवं दबाव के कारण गलत रिपोर्ट दिनांक 05.11.2025 को प्रस्तुत की गई है जबकि वर्तमान में भी मौके पर भूमि खाली हैं उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को ना तो सबूत पेश करने हेतु उचित अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट की साक्ष्य लेखबद्ध की तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.12.2025 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गये है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 30.12.2025 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट से सही साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्ट मौके की वास्तविक स्थिति को साबित करता परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

30.12.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 30.12.2025 पारित करने से पूर्व मात्र सम्बन्धित पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर बहस पारित किया है इस कारण भी आदेश जैर बहस खारिज होने योग्य है। अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम श्री श्रीराम मुकदमा 91(6) एलआर एक्ट मु0नं0 295/2025 में पारित आदेश दिनांकित 30.12.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 30.12.2025 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.09.2025 को जवाब प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है कि वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण भूमि खसरा नं0 113 पर नहीं किया गया है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई काश्त भी नहीं कर रखी है एवं मौके पर भूमि खाली है। उक्त जवाब प्रस्तुत करने के बाद पटवारी हल्का द्वारा राजनैतिक द्वेषता एवं दबाव के कारण गलत रिपोर्ट दिनांक 05.11.2025 को प्रस्तुत की गई है जबकि वर्तमान में भी मौके पर भूमि खाली हैं उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को ना तो सबूत पेश करने हेतु उचित अवसर दिया व ना ही अपीलान्ट की साक्ष्य लेखबद्ध की तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.12.2025 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध होने के कारण मय खर्चा काबिले खारिज है क्योंकि अपीलान्ट न्याय प्राप्त करने से वंचित हो गये है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 30.12.2025 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट से सही साक्ष्य लेखबद्ध की जाती तो अपीलान्ट मौके की वास्तविक स्थिति को साबित करता परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई साक्ष्य व सबूत पेश करने का मौका नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 30.12.2025 मय खर्चा काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 30.12.2025 पारित करने से पूर्व मात्र सम्बन्धित पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर बहस पारित किया है इस कारण भी आदेश जैर बहस खारिज होने योग्य है। जमीन जैर बहस पर अपीलान्ट का कब्जा कश्त नहीं है और न ही अपीलान्ट भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करेगा। इस बाबत शपथ पत्र पेश करने को तैयार है। अपील अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम श्री श्रीराम मुकदमा 91(6) एलआर एक्ट मु0नं0 295/2025 में पारित आदेश दिनांकित 30.12.2025 को मय खर्चा खारिज फरमावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 77.35 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में 2.00 है0 जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जो राजकीय भूमि है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम रामलालपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 113 रकबा 77.35 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में 2.00 है0 जमीन पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट ने अदालत हाजा के समक्ष कथन किया है कि उनके द्वारा विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है और न ही अपीलान्ट भविष्य में उक्त जमीन पर कब्जा काश्त करेगा। इस बाबत अपीलान्ट ने शपथ पत्र भी पेश करने को तैयार है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकर की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 30.12.2025 निरस्त किया जाता है तथा अपील इन निर्देशों के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है या नही हटाया है इस बाबत जांच की जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। अपील अपीलान्ट स्वीकार होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन पर अलग से निर्णय पारित करने की आवश्यकता नही है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं